चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र., शासन

प्रेस विज्ञप्ति

टी.बी. (क्षय रोग) एक गंभीर जन स्वास्थ्य की समस्या है। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निदान एवं उपचार की नि:शुल्क व्यवस्था होने के बावजूद भी जॉच में विलम्ब, अनियमित एवं अधूरे उपचार के कारण कई रोगी रोग मुक्त होने से वंचित रह जाते हैं ऐसे संक्रामक रोगियों में क्षय अवरोधी औषधियाँ (ड्रग रेजिस्टेन्स के कारण) के प्रभाव हीन होने का खतरा बढ़ जाता है।

प्रभावी क्षय नियंत्रण के लिए क्षय के सभी रोगियों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक सुविधाऐं नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक Z-28015/2/2012-13, दिनांक- 07 मई 2012 के निर्देशानुसार सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं (सरकारी, स्वयंसेवी, प्राइवेट क्लीनिक/लैब) के द्वारा निदान अथवा उपचार प्रारम्भ किये गये रोगियों की जानकारी (नाम, लिंग, आयु, पता, निदान की तिथि, उपचार प्रारम्भ करने की तिथि) प्रतिमाह निम्न प्रपत्र में प्रेषित करना अनिवार्य है। क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है कि टी.बी. रोगी की अधिसूचना हेतु प्रतिवेदन महीने की 7वीं तारीख से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ जिला क्षय रोग अधिकारी अथवा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (सामु./प्रा.स्वा. केन्द्र) के कार्यालय में निश्चित रूप से जमा किया जाना है। प्रतिवेदन को ईमेल द्वारा जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों को भी भेजा जा सकता है। जिला क्षय रोग अधिकारी के ई-मेल का पता भारत सरकार की वेबसाईट http://www.tbcindia.nic.in पर उपलब्ध है। टी.बी. अधिसूचना के लिए नोडल अधिकारी से सम्पर्क करने में असमर्थता की स्थिति में राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी, उ.प्र. के ईमेल stoup@rntcp.org पर ईमेल अथवा दूरभाष संख्या-0522-2613596 पर फोन कर सकते हैं।

टी.बी. की अधिसूचना हेतु क्षय रोगी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

"ऐसा रोगी जिसका कम से कम एक बलगम परीक्षण में एसिड फास्ट बैसिलाई (ए.एफ.बी.) धनात्मक हो, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कल्चर टेस्ट धनात्मक हो, या पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में अधिकृत क्षय रोग हेतु रैपिड डायग्नोस्टिक मॉलीक्यूलर टेस्ट धनात्मक हो।

अथवा

"ऐसा रोगी जिसमें सूक्ष्मजैविक परीक्षण की पुष्टि के बिना ही, चिकित्सकीय निदान (Clinical diagnosis) द्वारा क्षय रोग का निदान करके क्षय निरोधी औषधियों का उपचार प्रारम्भ कर दिया गया हो।"

भारत सरकार के गजट नोटीफिकेशन सं. जी.एस.आर 432 (इ) एवं जी.एस.आर 433 (इ) दिनांक- 07 जून 2012 के अनुसार क्षय रोग के परीक्षण हेतु सिरोलाजिकल परीक्षण किट को निर्मित करना, बेचना, आयात करना, वितरण करना एवं प्रयोग करना प्रतिबन्धित है।"

क्षय रोग (टी.बी.) अधिसूचना का प्रारूप

रिपोर्टिंग की अवधि दिनांक- / / से / / तक

स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का नाम -

मोबाइल नं. के साथ पता -

क्र. सं.	टी.बी. रोगी का नाम/मरीज की आई.डी.	उम्र/ लिंग	सरकार द्वारा जारी पहचान सं. (आधार, आदि), यदि उपलब्ध हो	पूरा आवासीय पता	मरीज का फोन नं.	टी.बी. परीक्षण की तिथि	टी.बी. उपचार प्रारंभ होने की तिथि

(डा. पूजा शर्मा)
जिला क्षयरोग अधिकारी,
मेरठ

(डा. अमीर सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मेरठ

(पंकज यादव)
जिला अधिकारी,
मेरठ

प्रेषकः

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मेरठ

सेवा में,

जिला विज्ञान अधिकारी–एनआईसी,
मेरठ

संख्याः सीएमओ/डाट्स/नोटिफिकेशन–प्रकाशन/2014/ दिनांक 5.9.14

विषयः टीबी रोगी से संबंधित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) को निशुल्क सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि क्षय रोग (टीबी.) की गंभीरता के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक Z-28015/2/212-13 दिनांक 07 मई 2012 के निर्देशानुसार सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं (सरकारी, स्वंयसेवी, प्राइवेट क्लीनिक/लैब) के द्वारा निदान अथवा उपचार प्रारम्भ किये गये रोगियों की जानकारी (नाम, लिंग आयु, पता, निदान की तिथि, उपचार प्रारम्भ करने की तिथि) प्रतिमाह सलंग्न प्रपत्र में प्रेषित करना अनिवार्य है। क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के लिये यह महत्वपूर्ण कदम है।

अतः उक्त के क्रम में यह विज्ञप्ति जनपद मेरठ के वैबसाइट एवं जिलाधिकारी महोदय के फेसबुक पेज पर प्रकाशित किया जाना है, ताकि अधिक से अधिक सरकारी, स्वंयसेवी, प्राइवेट क्लीनिक/लैब एवं जनसामान्य को उक्त जानकारी प्राप्त हो सके एवं रोगियों की सूचना संबंधित प्रपत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला क्षयरोग अधिकारी, को प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के क्रम में टीबी से संबंधित नोटिफिकेशन को जनपद मेरठ की वैबसाइट एवं जिलाधिकारी महोदय के फेसबुक पेज पर प्रकाशित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सलंग्न विज्ञप्ति को जनहित में जनपद मेरठ के वैबसाइट एवं जिलाधिकारी महोदय के फेसबुक पेज पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : 1. जिलाधिकारी महोदय की सहमति/निर्देश
2. विज्ञप्ति

भवदीय

(डा. अमीर सिंह) 5/9/14
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मेरठ

DIO (NIC)
निर्देशानुसार कार्यवाही
के कराएं

dtC-DATA-SHP-13_18-2-13 126